

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 200 /22

उनवान

- 1-2 इन्द्रसिंह, उग्रसिंह पिता रामा मीणा निवासी कादीसहना
- 3- गीता पत्नी सोदान मीणा निवासी कादीसहना
- 4- मोनिका पुत्री सोदान मीणा निवासी कादीसहना
- 5- रमेश पुत्र रामा मीणा अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता हीरा निवासी कादीसहना
- 6- हीरा पत्नी रामा मीणा निवासी कादीसहना
- 7- सूरज पुत्र सोदान मीणा निवासी कादीसहना

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- गोपाल पुत्र चम्पालाल आचार्य निवासी कादीसहना
- 2- मंगली पत्नी सत्तु भाट निवासी कादीसहना
- 3- धापू पत्नी मोहन बलाई निवासी कादीसहना
- 4- गोपाल पुत्र कजौड़ आचार्य निवासी कादीसहना
- 5- कल्याण पुत्र महावीर आचार्य निवासी कादीसहना
- 6- कन्हैयालाल पुत्र हीरा माली निवासी कादीसहना

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री अक्षयराज रेबारी
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 02.08.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम कादीसहना पटवार हल्का कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 490 रकबा 0.28 है0, 611 रकबा 0.92 है0 902 रकबा 0.24 है0,, 907 रकबा 0.38 है0, 941 रकबा 0.05 है0, 954 रकबा 0.60 है0, 955 रकबा 0.21 है0, 956 रकबा 0.06 है0, 957/3772 रकबा 0.10 है0 कुल कित्ता 9 रकबा 2.84 हैक्टेयर के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3, 5, 6 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 4 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम कादीसहना पटवार हल्का कादीसहना संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कादीसहना में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् कित्ता 9 रकबा 2.84 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 1300 रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

(सुनिता यादव)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.